

कार्यालय, अंचल अधिकारी, अड़की खूँटी।

आदेश फलक

जिला:- वाद सं०:- ⁸⁴⁵ ~~16-87~~ ^{T.R} / 2020-21 सन्

विषय:- भूमि बन्दोवस्ती नियमितकरण करने के संबंध में।

आदेश का क०सं०एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश की ग: कार्रवाई बारे में
------------------------	--------------------------------	------------------------------


30/07/2020

जमाबंदीदार श्री/ श्रीमती लोदरो सुषा पिता/मति स्व. श्याम सिंह सुषा
 मौजा पुरड थाना-अड़की, जिला खूँटी के नाम से पंजी -ii पृष्ठ संख्या-
2/14 में दर्ज है। उक्त भूमि बन्दोवस्ती वाद सं०- 04 / 88-89 के आधार पर दर्ज
 है। जमाबंदीदार सुयोग्य श्रेणी के अनुपगतवर्ती के सदस्य है एवं भूमिहीन है। कायम जमाबंदी संदिग्ध है।

भूमि की विवरणी:-

मौजा	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट सं०	रकबा
<u>पुरड</u>	<u>252</u>	<u>40</u>	<u>390</u>	<u>1.80 (अक)</u>

सरकार के सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार का पत्रांक-06/भूमि का नियमितीकरण-89/2020-1704/रा० दिनांक:- 15.07.2020 में यथाविहित प्रावधानानुसार संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन की मांग करें, पुनः अभिलेख दिनांक:- 05/08/2020 को उपस्थापित करें।



 अंचल अधिकारी
 अड़की।

05/08/2020

अभिलेख उपस्थापित किया गया।/संबंधित राजस्व उप निरीक्षक का स्थल जाँच/ भौतिक सत्यापन/ दखल-कब्जा संबंधी प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त हुआ है तथा सरकार के सचिव, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार का पत्रांक:-06/ भूमि नियमितिकरण-89/2020-1704/रा० दिनांक:- 15.07.2020 में यथाविहित प्रावधानानुसार भूमि के नियमितिकरण हेतु अनुशंसा किये है।


अतः संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के स्थल जाँच/भौतिक सत्यापनोपरान्त/दखल-कब्जा एवं अनुशंसा के आधार पर जमाबंदीदार श्री/श्रीमती शोब्यो मुष्ठा.....
..... पिता/पति रबो शाह आरि मुष्ठा..... मौजा- पुरुड.....थाना-अड़की,
जिला-खूँटी के नाम से मौजा- पुरुड..... थाना नं० 252..... खाता सं० 40
प्लॉट सं० 390..... रकबा- 1.80 एकड़..... लगान 5.52..... रुपये अलावे शेष पर भूमि बन्दोबस्ती को नियमितिकरण की स्वीकृति दी जाती है।

तदनुसार संबंधित राजस्व उप निरीक्षक को निदेश दिया जाता है कि पंजी-II में तदनुसूच ऑनलाईन प्रविष्टि करेंगे।


अंचल अधिकारी,
अड़की।

अभिलेख उपस्थापित किया गया। संबंधित राजस्व उप निरीक्षक द्वारा मौजा-.....
पुरुड..... थाना नं० 252..... के पंजी- II भौलुम (VOL-.....) के पृष्ठ संख्या-.....
पर ऑनलाईन प्रविष्टि कर आवश्यक सुधार कर लिया गया है।

अतः अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है
अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।


अंचल अधिकारी,
अड़की।

05/08/2020